कार्यवृत्त

गुरूवार, 13 फाल्गुन, शक संवत्, 1942
(दिनांक : 04 मार्च, 2021)

खण्ड–59
अंक–4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, भराडीसैंण (गैरसैंण) में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही सूचित किया कि आज अत्यन्त शुभ दिन है आज ही के दिन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा भराड़ीसैंण की इस सुन्दर धरती को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की गयी थी। मैं, आप सभी को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ और आज सत्र की समाप्ति पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आंमत्रित करता हूँ।

मा0 नेता प्रतिपक्ष ने नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि पिछले कई उपवेशनों में स्थापित स्वस्थ संसदीय परम्परा की श्रृंखला की कड़ी के रूप में आज की कार्यसूची में भी सभी प्रश्न आज निर्धारित समय से भी कम समय में उत्तरित हुए साथ ही उत्तराखण्ड की इस सम्मानित पीठ की यह निश्चित ही महान उपलधि है। इसके लिए सत्ता एवं विपक्ष दोनों मा0 सदस्यगणों का सहयोग रचनात्मक रूप से प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी का इस स्वस्थ परम्परा को स्थापित करने के लिए धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में आयोजित सत्र हेतु की गयी व्यवस्थाओं से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अवगत कराया कि समस्त सदस्य इस बार की व्यवस्थाओं से प्रसन्न हैं एवं मा0 अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री करन माहरा, मा0 सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए अवगत कराया कि वाई–फाई की कनेक्टविटी काम नहीं कर रही है। जिस कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1.	श्री राजकुमार ठुकराल	जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रूद्रपुर में किच्छा रोड़ पर स्थित ट्रचिंग ग्राउण्ड (कुड़ाघर) को हटाये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
2.	श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल	आयुष विभाग में भारत सरकार की केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत आर0सी0एच0 विंग एवं त्वचा रोग केन्द्र में तैनात चतुर्थवर्गीय संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

3.	हाजी फुरकान अहमद	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों का विवाह अनुदान, विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन को समाज कल्याण विभाग को हस्तानान्तरित करने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
4.	श्री खजान दास	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत एम0डी0डी0ए0 द्वारा सील किये गये, चालान किये गये अथवा अवैध निर्माणों को शमन/वैध किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
5.	श्री नवीन चन्द्र दुम्का	जनपद नैनीताल के भावर क्षेत्र में बरसात में ओवर फ्लो होने, बोल्डर एवं पेड़ गिरने से नहरों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
6.	श्री गणेश जोशी	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
7.	श्री संजय गुप्ता	विधान सभा लक्सर के अन्तर्गत ग्राम पंचवली के पंचलेश्वर महादेव मन्दिर (महाभारत कालीन) सिद्धपीठ के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2020 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने ''वर्ष 2020–21 का आर्थिक सर्वेक्षण'' सदन के पटल पर रखा।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम चुडियाला में सुरेश पुत्र श्री प्रसा के मकान से सोमपाल के यहां होते हुये भगवानपुर से चुडियाला रोड पर सी0सी0 निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सुखलाल बाग्ले पुत्र श्री दयाराम ग्राम चुडियाला जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बिनारसी कब्रिस्तान वाली सड़क से जनार्धन के खेत तक सी0सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री अरविन्द त्यागी पुत्र श्री महेन्द्रपाल त्यागी, ग्राम बिनारसी, पोस्ट चुडियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बिन्दु खड़क में शमशान घाट की चारदीवारी के सम्बन्ध में" श्री संजय पुत्र श्री विजयपाल, ग्राम बिन्दु खड़क पोस्ट भलस्वागाज, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मोलना में आन्तरिक सड़कों के सम्बन्ध में" श्री राहुल पुत्र श्री मांगेराम, ग्राम मोलना, पो0 ईकबालपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मानक माजरा में कब्रिस्तान की चारदीवारी के सम्बन्ध में" श्री शकुर पुत्र श्री खलील, ग्राम मानकमाजरा पो0 हल्लूमाजरा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

शहरी विकास मंत्री ने ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2021'' को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

शहरी विकास मंत्री ने ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2021'' को पुरःस्थापित किया।

शहरी विकास मंत्री ने ''(उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2021'' को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

शहरी विकास मंत्री ने ''(उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2021'' को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 03 मार्च, 2021 की बैठक में दिनांक 04 मार्च, 2021 से 07 मार्च, 2021 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:—

दिनांक 04 मार्च, 2021

04 गुरूवार	(1) वित्तीय वर्ष 2021—22 के आय—व्ययक का प्रस्तुतीकरण।
	(2) विधायी कार्य।

1. इक्फाई विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 का विचार एवं पारण (10 मिनट)
2. उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) (संशोधन) विधेयक, 2021 का विचार एवं पारण (10 मिनट)
3. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2021 का विचार एवं पारण (10 मिनट)
4. उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2021 का विचार एवं पारण (10 मिनट)

05 शुक्रवार	(1) आय—व्ययक पर सामान्य चर्चा।
	(2) विधायी कार्य।
	(3) असरकारी कार्य।
06 शनिवार	(1) आय—व्ययक पर सामान्य चर्चा।
	(2) विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।
	(3) विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन विचार एवं पारण।
	(4) विधायी कार्य।
07 रविवार	विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य—मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री करन माहरा, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल एवं श्रीमती ममता राकेश की सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना के अन्तर्गत ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री करन माहरा, श्रीमती ममता राकेश, हाजी फुरकान अहमद, श्री राजकुमार एवं श्री आदेश सिंह चौहान ने अपने विचार व्यक्त किये।

(12:28 बजे मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

(13:09 बजे मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए)

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया। श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा सदन से बर्हिगमन किया गया

प्रदेश में उत्तराखण्ड राज्य में स्वजल निदेशालय एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत विगत 24–25 वर्षों से विभागीय ढ़ांचे के अनुरूप कार्यरत संविदा कार्मिकों को वेतन भत्तों का भुगतान एवं नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

राजकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश के प्राईवेट संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

भगवानपुर मेडिकल कालेज के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

14 बजकर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 15:30 बजे तक के लिये स्थगित की।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता मे 15:30 बजे पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि..

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि 'इक्फाई विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021' पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि 'इक्फाई विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021' को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि 'उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) (संशोधन) विधेयक, 2021' पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि 'उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) (संशोधन) विधेयक, 2021' को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2021' पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2021' को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

मा0 पंचायतीराज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि 'उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2021' पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि चर्चा जारी रहेगी।

मा0 मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021–2022 का आय–व्ययक प्रस्तुत किया।

उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 पर पुनः विचार आरम्भ हुआ।

(17:34 बजे मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्री प्रीतम सिंह, श्री महेन्द्र भट्‌ट एवं श्री विनोद चमोली ने विचार व्यक्त किये।

(17:58 बजे मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए)

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–42 खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

मा0 पंचायती राज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि 'उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2021' को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री राम सिंह कैड़ा की सूचना जो कि जनपद नैनीताल एवं प्रदेश के सिड़कुल की कम्पनियों में पहाड़ के युवाओं को नौकरी से हटाए जाने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना जो कि जनपद बागेश्वर के भगरतोला में शहीद राम सिंह बोरा जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकरण के संबंध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2021 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य प्रस्तुत किया गया।

देश में लौहतत्व की कमी को दूर करने के लिए क्है कार्यक्रम का प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुलभ करने के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2021 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य प्रस्तुत किया गया।

सदन की कार्यवाही 18 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुकेश सिंघल,
सचिव (प्रभारी)
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेम चन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।